न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना–पत्र (ट्रांसफर) संख्याः 07/2021

दायर दिनांकः 11.02.2021

आदेश दिनांक 01.04.2021

–:अनवानः–

श्री रोशनलाल पिता उमा गुर्जर आयु 52 वर्ष निवासी भोप जी की भागल, चारभूजा, तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

———प्रार्थी

–:बनामः–

1. श्री हितेष पिता श्री हरिवल्लभ पालीवाल आयु 36 वर्ष निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्री राजूसिंह पिता भूरसिंह खरवड आयु 59 वर्ष निवासी झीलवाडा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द
3. श्री रविन्द्र कुमार पिता श्री भरत कुमार सोनी आयु 41 वर्ष निवासी केलवाडा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

———विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता</u>

उपस्थितः–

1– श्री प्रवीण मण्डोवार, अधिवक्ता प्रार्थी

2– श्री जितेन्द्र पालीवाल अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे विपक्षीगण द्वारा एक रेवेन्यू वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा तथा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 का माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय, कुम्भलगढ के यहां प्रस्तुत कर रखा है। जिसके मुकदमा नम्बर 53/2020 रेवेन्यू वाद एवं प्रार्थना पत्र के मुकदमा नम्बर 59/2020 है। उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र में पिठासीन अधिकारी व न्यायालय स्टाफ द्वारा विभिन्न प्रकार से हैरान परेशान किया जा रहा है। जिससे उक्त न्यायालय में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होने से व प्रकरणों में प्रिज्यूडिस होकर प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही कर रहे है। जिस कारण प्रार्थी को सहायक कलक्टर, कुम्भलगढ से कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होने से उक्त प्रकरणों का सहायक कलक्टर, राजसमन्द मे अन्तरित किये जाने का अनुरोध किया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दोनो प्रकरणों की पत्रावलीयॉ न्यायालय सहायक कलक्टर, कुम्भलगढ से न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमन्द में ट्रांसफर कराने का आदेश फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पक्षकारान को सुना गया/सहायक कलक्टर कुम्भलगढ से उक्त प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गयी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए। उक्त प्रकरण को सहायक कलक्टर राजसमन्द के यहॉ पर स्थानान्तरण हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण के द्वारा बहस में निवेदन किया है कि वर्ष 2020 से न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय, कुम्भलगढ़ में यह प्रकरण विचाराधीन हैं। विपक्षी जान बुझकर उक्त प्रकरण को लम्बा करना चाहता हैं। इसलिए यह याचिका पेश की है। स्थानान्तरण का कोई आधार उक्त मामले में नही हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण वर्ष 2020 से अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिसे स्थानान्तरण हेतु सहायक कलक्टर, राजसमन्द के यहा पर ट्रांसफर कराने बाबत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी उक्त प्रकरण का प्रतिवादी है तथा जानबुझ कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण कराना चाहता है। पत्रावली में अतंरण का ऐसा कोई ठोस आधार तथा दस्तावेज पेश नही किये है जिसके आधार पर उक्त प्रकरण में प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नही हों। केवल पक्षपात कर विपक्षी के पक्ष में निर्णय करने की संभावना के आधार पर पत्रावली अंतरण नही की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ–पत्र भी पेश नही किया। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र आधार हीन होने से खारिज किया जाता है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचान्तर्गत प्रार्थी जानबुझ कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण कराना चाहता है। पत्रावली में अतंरण का ऐसा कोई ठोस आधार तथा दस्तावेज पेश नही किये है जिसके आधार पर उक्त प्रकरण में प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नही हों। केवल पक्षपात कर विपक्षी के पक्ष में निर्णय करने की संभावना के आधार पर पत्रावली अंतरण नही की जा सकती है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर, कुम्भलगढ को प्रेषित करे।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 01.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)